संख्या– 1260 /VI/2008–6(36)2006 टी0सी0

प्रेषक,

श्याम सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 में बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत औली जनपद चमोली में स्ट्रीट लाईट के कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2430/2–6–498/2008–09, दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2008–09 में बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत औली जनपद चमोली में स्ट्रीट लाईट के कार्यो हेतु रू0 76.45 लाख के आगणनों पर तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रू0 76.45 लाख (रूपये छिहत्तर लाख पैंतालिस हजार मात्र) की लागत के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसकी लागत की धनराशि को व्यय करने की भी इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि उक्त धनराशि के विपरित 50 प्रतिशत की धनराशि का प्रथम किस्त के रूप में आहरण किया जायेगा और इस धनराशि के 80 प्रतिशत तक उपयोग करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने बाद ही निदेशक के द्वारा कोषागार से द्वितीय किस्त का आहरण किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3–कार्य करने से पूर्व सदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस मे स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

4–कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार मानक एम0ओ0यू0 निष्पादित कर किया जायेगा।

5–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

6–एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

7–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8–निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों तथा अन्य तद्विषयक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

9–कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

10–निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

11–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219 (2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12–अनुमोदित कार्यो को 31 मार्च, 2009 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अप्रैल, 2009 में भारत सरकार तथा वित्त आयोग प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

13–वर्ष के अंत में यदि निर्माण इकाई के पास धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा तथा अवशेष धनराशि को निर्माण इकाई के खाते में जमा रखने की अनुमति नहीं होगी।

14–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–2009 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–05–बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत पर्यटन विकास–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

15–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–1014/XXVII(2)/2008, दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

संख्या– 1260/VI/2008–5(36)2006 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त अनुभाग–2
8– श्री एल0एन0पन्त, सचिव वित्त (वित्त आयोग प्रकोष्ठ)।
9– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली।
11– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।